फाइल नं0-71-3002(002)/36/2023-03

133/2023/I/439017/2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक 04 दिसम्बर, 2023**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र सहायतित योजना फेज-3 के 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में मानक मद-26-मशीनें तथा सज्जा/उपकरण और संयंत्र में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-132/2023/I/438525/2023-71-3002(002)/36/2023-03, दिनॉक 01.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत फेज़-3 के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा- बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी तथा अमेठी में मानक मद-26-मशीनें तथा सज्जा/उपकरण और संयंत्र में शासनादेश दिनॉक 28.11.2023 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 23482.03 लाख (रू0 दो अरब चौंतीस करोड़ बयासी लाख तीन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश संख्या-132/2023/I/438525/2023-71-3002(002)/36/2023-03, दिनॉक 01.12.2023 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित "कार्यदायी संस्था" के स्थान पर "फेज- 3 के संबंधित प्रधानाचार्य" पढ़ा/समझा जाये। शासनादेश संख्या-132/2023/I/438525/2023-71-3002(002)/36/2023-03, दिनॉक 01.12.2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u> **भवदीय,**

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य/नोडल प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, औरैया, कौशाम्बी, पीलीभीत, अमेठी, गोण्डा, कानपुर देहात, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, चन्दौली, सोनभद्र, बिजनौर, ललितपुर तथा बुलन्दशहर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, औरैया, कौशाम्बी, पीलीभीत, अमेठी, गोण्डा, कानपुर देहात, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, चन्दौली, सोनभद्र, बिजनौर, ललितपुर तथा बुलन्दशहर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, औरैया, कौशाम्बी, पीलीभीत, अमेठी, गोण्डा, कानपुर देहात, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, चन्दौली, सोनभद्र, बिजनौर, ललितपुर तथा बुलन्दशहर।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।